DATE: 24/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA AND RAJYASABHA)

LECTURE NO.:- 44 (FORTYFOUR)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPART. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय संसद :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे।' भारतीय संसद देश की विधानपालिका का सर्वोच्च निकाय है।

संसद

- राष्ट्रपति
- राज्यसभा — उच्च सदन / द्वितीय सदन
- लोकसभा — निम्न सदन / प्रथम सदन

राज्यसभा को उच्च सदन एवं द्वितीय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन एवं प्रथम सदन भी कहा जाता है। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धान्ततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न भाग बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के उपरान्त ही अधिनियम बनता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है।

Scanned with CamScanner

भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति :-

ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और अमेरीका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमरीकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है।

ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, इसलिए वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और इस कानून को किसी भी सत्ता के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं संघात्मक व्यवस्था तथा लिखित एवं कठोर संविधान के कारण अमरीकी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्तियाँ सीमित हैं। इसके साथ ही अमरीका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है और इसी वजह से अमरीकी संसद के जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में भी न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इतनी सीमा तक नहीं है जितनी सीमा तक यह अमरीकी संविधान में है।

भारतीय संसद की संवैधानिक स्थिति के सम्बंध में विभिन्न विद्वानों अलग-अलग अपना विचार दिए हैं, उनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

(i) दुर्गादास बसु के अनुसार "भारतीय संविधान में अद्भुत ढंग से अमेरीका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैण्ड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया गया है।"

(ii) डॉ० सुभाष काश्यप के अनुसार, "भारत में सार्वभौम प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र है।"

Next-

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(iii) आरमन डी॰ पामर के अनुसार, "भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती है। यद्यपि इसका कार्य भारत राज्य-क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएँ हैं। संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियाँ सीमित हो गयी हैं।"

वर्णित विवेचना से हम पाते हैं कि भारतीय संसद एक सम्प्रभु संस्था नहीं है। इसके कार्यों पर अनेक सीमाएँ हैं।

x ——— x ——— x ——— x

Scanned with CamScanner